

उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा ,
तपोवन मार्ग, देहरादून
email-rmsauk@gmail.com
■ /Fax 0135-2780422

कार्यालय प्रयोग हेतु किराये के वाहनों की आपूर्ति सम्बन्धी निविदा सूचना

पत्रांक : रा०प०का०/लेखा-प्रशासन/६१२। /निविदा/2010-11 दिनांक १५ फरवरी, 2011

राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद, ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून को अपने अधीन चल रही परियोजनाओं में कार्यालय प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के डीजल चलित वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लेने की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए देहरादून के अनुभवी व पंजीकृत ट्रैवल एजेन्सियों/ट्रान्सपोर्टरों से मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती हैं।

इच्छुक निविदादाता कार्यालय से निविदा प्रपत्र तथा नियम व शर्तें रूपये 250.00+VAT रु0 34.00 (रूपये दो सौ चौरासी मात्र) जमा कर विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से दिनांक 14-03-11 तक कार्यालय कार्यदिवस में तथा दिनांक 15-03-2011 के मध्याह्न 12:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा निविदा प्रपत्र विभाग की वैबसाइट <http://gov.ua.nic.in/schooleducation> से डाउनलोड कर रु0 284.00 का देहरादून में देय बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर निविदा दिनांक 15-03-11 को 4:00 बजे अपराह्न तक राज्य परियोजना कार्यालय में रखे सील बन्द टेण्डर बॉक्स में डाल सकते हैं। तकनीकी निविदा दिनांक 16-03-11 को पूर्वाह्न 11:00 बजे निविदादाताओं के समुख खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें खोली जायेंगी।

ह०

राज्य परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा ,
तपोवन मार्ग, देहरादून
email-rmsauk@gmail.com
■@Fax : 0135 : 2780422

कार्यालय प्रयोग हेतु किराये के वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी

निविदा प्रपत्र

क्र0 सं0 विक्रय दिनांक निविदा मूल्य—रु0 250.00+रु034.0(VAT)

फर्म का नाम (जिसे जारी किया गया) (Non refundable)
.....

लेखाकार / प्रशासनिक अधिकारी

राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग, देहरादून को अपने अधीन चल रही परियोजनाओं में कार्यालय प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के डीजल चलित वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लेने की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए देहरादून के अनुभवी व पंजीकृत ट्रेवल ऐजेन्सियों/ट्रान्सपोर्टरों से मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा के दो भाग होंगे **तकनीकी निविदा** एवं **वित्तीय निविदा**। निविदादाताओं की अर्हता, अनुभव तथा धरोहर राशि आदि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तकनीकी निविदा के स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार विवरण (प्रपत्र-1 पर) के साथ एक लिफाफे में रखे जायेंगे, जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में “तकनीकी निविदा” एवं एजेन्सी का नाम अंकित होगा। धरोहर राशि के रूप में रुपये 30,000/- (रुपए तीस हजार मात्र) की राशि राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, एफ0डी0आर0या बैंक गारंटी के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा, जो निविदा खुलने के दिनांक से अगले 45 दिन तक वैध हो।

वित्तीय निविदा में केवल प्रपत्र-2 पर विभिन्न श्रेणियों के (केवल डीजल) वाहनों हेतु किराये की दरें अंकित की जायेंगी। इस प्रपत्र को एक अन्य लिफाफे में रखा जायेगा जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में “वित्तीय निविदा” लिखा जायेगा। वित्तीय निविदा तथा तकनीकी निविदा के लिफाफों को पुनः एक बड़े लिफाफे में रखा जायेगा जिस पर “किराये के वाहनों हेतु निविदा” तथा निविदादाता का नाम लिखा जायेगा।

निविदा दि० को 4.00 बजे अपराह्न तक राज्य परियोजना कार्यालय में रखे सील बन्द टेण्डर बॉक्स में डाली जा सकेंगी। निर्धारित समय तक डाक से प्राप्त होने वाली निविदायें भी कार्यालय द्वारा स्वीकार की जायेंगी, किन्तु डाक से होने वाले विलम्ब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तकनीकी निविदा दिनांक को पूर्वाह्न 11:00 बजे निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अहं पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें खोली जायेंगी, जिसके लिए समय निविदा समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इस हेतु निविदादाताओं को ससमय सूचित कर दिया जायेगा।

पात्रता की आवश्यक शर्तें –

1. निविदादाता को किराये की टैक्सी उपलब्ध करवाने सम्बन्धी सेवा हेतु पंजीकृत एजेन्सी होना चाहिये।
2. निविदादाता को कम से कम 02 वर्षों का सन्तोषजनक कार्य करने अनुभव होना चाहिये।
3. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व में न्यूनतम 3 वाहन पंजीकृत होना आवश्यक होगा तथा सम्बन्धित वाहनों की तकनीकी वैद्यता अवधि कालातित नहीं होनी चाहिए।
4. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम ₹0 10 लाख होना आवश्यक है।

वाहनों की मांग एवं आपूर्ति—

राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को सामान्यतः 02 (दो) कार (अम्बेस्डर या इंडिका, इंडिगो आदि) नियमित रूप से मासिक आधार पर आवश्यकता होगी। मासिक आधार पर आपूर्ति किये जाने वाला कोई भी वाहन वर्ष 2010 से पूर्व का निर्मित नहीं होना चाहिए। उसके अतिरिक्त समय—समय पर अन्य वाहनों की भी उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवश्यकता पड़ती रहती है। चयनित एजेन्सी द्वारा निविदा स्वीकृति—आदेश के जारी होने की तिथि से समय समय पर मांग के अनुसार मुख्यालय तथा उपर्युक्त स्थलों पर वाहनों की आपूर्ति की जायेगी।

सफल निविदादाता / निविदादाताओं को कार्यालय की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा। अनुबंध की अवधि प्रारम्भिक तौर पर 31 मार्च 2012 तक होगी। दोनों पक्षों की सहमति की दशा में इसे एक वर्ष की अवधि (31 मार्च 2013) तक बढ़ाया जा सकेगा। कार्यालय की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता से किया गया अनुबंध समाप्त किया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

चयन प्रक्रिया –

निविदा हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा प्राप्त तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जायेगा। केवल तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं को ही इस हेतु निर्धारित तिथि व समय पर समिति द्वारा खोला जायेगा।

वित्तीय निविदा में मूल दर तथा कर आदि अलग—अलग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जायगी। डीजल चालित वाहनों के प्रकार के अनुसार ₹०८ी०/विना ₹०८ी०, पहाड़/मैदान, दूरी (कि०मी०), दिन आदि

मानकों को ध्यान में रखते हुये दरें अंकित की जाय। प्रपत्र-2 के टिप्पणी कालम में मानकों के अनुसार दरों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं की तुलनात्मक विवरण के आधार पर जिस निविदादाता की दरें सबसे कम होंगी, उसे सफल घोषित किया जायेगा। मासिक आधार पर व दैनिक आधार पर तथा अलग अलग प्रकार के वाहनों के आधार पर एक से अधिक निविदादाताओं को चयनित किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित को कार्यालय द्वारा सूचित कर दिया जायेगा व अनुबंध किये जाने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। चयनित निविदादाता के निर्धारित समय तक अनुबंध हेतु उपस्थित न होने पर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व अगले निविदादाता को अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

जमानत राशि (Security Money)- सफल निविदादाता को स्वीकृति आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) / एक माह के देयक के बराबर धनराशि (अनुमानित), जो भी अधिक हो, को एक हजार के पूर्णांक तक ग्रहण करते हुए, की जमानत राशि निदेशक राज्य परियोजना उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून के नाम एफ. डी. आर. अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा करना आवश्यक होगा जिसकी वैधता अनुबन्ध किये जाने के पश्चात् / कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात्, जो भी बाद में हो, कम से कम 18 माह की अवधि तक हो। जमानत राशि अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् वापस की जायेगी।

1. अनुबन्ध की अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति में प्रतिभूति का नवीनीकरण कराने का दायित्व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता का होगा। प्रतिभूति अनुबन्ध समाप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी।

भुगतान— किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के 1 माह के अन्तराल में किया जायेगा। बिल के साथ यात्रा करने वाले अधिकारी / कर्मचारी का नाम, यात्रा प्रारम्भ का स्थान, यात्रा प्रारम्भ का मीटर रीडिंग, गन्तव्य स्थान, गन्तव्य स्थान से वापसी का दिनांक व स्थान, यात्रा समाप्ति का मीटर रीडिंग तथा कुल तय की गई दूरी आदि विवरण प्रपत्र-3 पर संलग्न करना होगा। लाग बुक में मासिक आधार पर किये गये वाहन सम्बन्धि प्रविष्टियां सम्बन्धित द्वारा की जायेगी। सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी लाग बुक की प्रविष्टियों को भी सत्यापित करेगा।

निविदा की अन्य नियम एवं शर्तें

प्रश्नगत निविदा के क्रम में राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद, ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में निम्नांकित नियम एवं शर्तें लागू होंगी, जिनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा :—

1. निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम व शर्तों के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. फर्म/एजेन्सी का सेवाकरण पंजीकरण, पैन न0, आयकर रिट्न की विगत दो वित्तीय वर्षों की प्रति एवं वाहनों के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी से पंजीकरण प्रपत्रों (फिटनेस तथा वाहन बीमा) की प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी होगी। साथ ही निविदादाता को विगत 02 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र एवं इस अवधि में विभिन्न विभागों में किये गये कार्य के सापेक्ष सन्तोषजनक कार्य करने की आख्या प्रस्तुत करनी होगी।
3. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व में न्यूनतम 3 वाहन पंजीकृत होना आवश्यक होगा, सम्बन्धित वाहन की तकनीकी वैधता अवधि कालातित नहीं होनी चाहिए। मासिक आधार पर 2010 या उसके बाद के वाहन उपलब्ध करवाने हेतु शेष आवश्यकता हेतु सफल निविदा दाता को अन्य वाहन स्वामियों के साथ 100/- रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। वाहन स्वामी एवं ट्रेवल एजेन्सी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के क्रम में भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए राज्य परियोजना कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
4. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह आपूर्ति किये जा रहे वाहनों के पंजीकरण/करों की देयता इत्यादि औपचारिकतायें आपूर्ति से पूर्व सुनिश्चित कर ले एवं तदआशय का प्रमाण—पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाए। आपूर्ति किये जाने वाले समस्त वाहन परिवहन विभाग से टैक्सी श्रेणी में पंजीकृत होने चाहिए।
5. उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं के भीतर रोपित किये जाने वाले समस्त करों एवं अन्य वैधानिक देयताओं हेतु ट्रेवल एजेन्सी/फर्म उत्तरदायी होंगी।
6. चालक का मानदेय, वाहन का रख—रखाव एवं वाहन की आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य प्रकार के आकस्मिक व्यय, यदि कोई हो, को सम्बन्धित एजेन्सी/फर्म को वहन करना होगा।
7. प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु सम्बन्धित एजेन्सी/फर्म को अनापति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की यात्राओं में प्रदेश के बाहर देय करों तथा टोल टैक्स का भुगतान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
8. सामान्यतः मांग के अनुसार वाहन की उपलब्धता की अवधि 10 घंटे होगी जो प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 7:00 बजे तक नियत होगी। उक्त समय सीमा का निर्धारण राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर पर किया जायेगा जो सफल निविदाता फर्म/एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा।
9. मासिक आधार पर नियोजित किये जाने वाले वाहनों को प्रत्येक माह में एक दिवस (कार्यालय अवकाश) वाहन की सर्विसिंग/मरम्मत कराये जाने हेतु अनुमन्य होगा।
10. मासिक आधार पर अनुबंधित किये गये वाहन का किराया वित्तीय बिड में मासिक आधार पर दिया गया किराया होगा, चाहे माह के कुछ दिनों मुख्यालय से बाहर क्यों न जाने पड़े। देहरादून/मुख्यालय से बाहर की यात्राओं हेतु रात्रि विश्राम की दशा में 150/- प्रति रात्रि की दर से मासिक देयक के साथ पृथक से भुगतान किया जायेगा।

11. यात्रा के मध्य वाहन के परिचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर फर्म को 01 घण्टे के अन्दर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उस यात्रा का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म के बिल में से उतनी राशि की कटौती कर ली जायेगी जितनी राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को यात्रा पूरी करने हेतु करना पड़ा हो।

12. वाहन चालकों के पास पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभवन व ~~पर्वतीय क्षेत्र का~~ ड्राईविंग लायर्सेंस होना आवश्यक होगा। वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से मोबाइल फोन रखना होगा जिसके रख-रखाव का उत्तरदायित्व वाहन चालक व फर्म स्वामी का होगा।

13. वाहनों के रन की गणना राज्य परियोजना कार्यालय एवं यात्रा करने वाले अधिकारी के आवास से की जायेगी एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक एवं अन्तिम मीटर रिडिंग की अंकना रनिंग रजिस्टर में करते हुए सत्यापन किया जायेगा। वाहन द्वारा गैराज से अधिकारी के आवास अथवा वापसी में एक ओर की यात्रा हेतु वास्तविक दूरी अथवा 5 किमी जो भी कम हो की दूरी अनुमन्य होगी। वाहन चालकों को वाहन के रख-रखाव, साज-सज्जा, सफाई, अनुशासन, आज्ञापालन एवं समयबद्धता का विशेष पालन करना होगा। वाहन चालक के किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान परियोजना द्वारा नहीं किया जायेगा।

14. वाहन चालक के बीमा तथा अन्य वैधानिक देयताओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी Travel Agency/फर्मस्वामी की होगी।

15. वाहन चालकों को ड्यूटी के दौरान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित वर्दी धारण करनी होगी।

16. निदेशक राज्य परियोजना उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून।

उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा ,
तपोवन मार्ग, देहरादून
email-rmsauk@gmail.com
■ @Fax : 0135 : 2780422

प्रपत्र – 1
तकनीकी बिड

1. निविदादाता फर्म / एजेन्सी का नाम –

.....

2. पता / फोन नं0 –

.....

3. प्रोप्राइटर / भागीदारों के नाम/पते–

.....

.....

4. निविदादाता फर्म / एजेन्सी के वाहनों का विवरण –

क्र0 सं0	रजिस्ट्रेशन नं0	मॉडल (वर्ष)	रजिस्ट्रे शन की तिथि	वाहन स्वामी का नाम	वाहन का प्रकार (एम्बेसेडर, इण्डिका, इण्डिगो, बुलेरो)	अन्य विवरण (वैधता तिथि)			
						परमिट	फिटनैस	रोड़ टैक्स	बीमा
1.									
2.									
3.									

5. सेवाकर पंजीकरण सं0/विवरण –

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. फर्म का आयकर पंजीकरण विवरण –

(प्रमाण एवं गत दो वर्षों का रिटर्न पत्र संलग्न करें)

7. गत दो वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर –
(प्रमाण हेतु तुलन-पत्र, P&L की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
8. धरोहर राशि का विवरण –
डी0डी0 नं० –
दिनांक –
बैंक / शाखा का नाम –
9. कोई अन्य सूचना –
10. संलग्नकों का विवरण –

नोट:- आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पृष्ठ लगायें।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)
मोहर



उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद
 राज्य परियोजना कार्यालय
 विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा ,
 तपोवन मार्ग, देहरादून
 email-rmsauk@gmail.com
 ■ @Fax : 0135 : 2780422

प्रपत्र – 3

Format of Duty Slip
 (Print Name of the company & Address)

Sl. No. Date

(to be filled by contractor)

1. Regn. No. of Vehicle
2. A/C or Non-A/CModel & year
3. Name, Designation & address of user
-
4. Purpose of Journey (detail)
5. Places visited
6. Meter Reading at Starting Pointat closing Point.....
7. Total KMs Run
8. Time at starting point at closing point.....
9. Charges for Parking / Toll Tax etc.....
10. Number of Night Halts (for outstation journey only).....

Signature of User

Driver's Name & Signature

उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा ,
तपोवन मार्ग, देहरादून
email-rmsauk@gmail.com
■ @Fax : 0135 : 2780422

प्रपत्र-2
वित्तीय बिड

क्र 0 सं 0	वाहन का प्रकार	वाहन की एवरेज प्रति किमी		किराये की दर (रु0 में)			करों का विवरण (यदि कोई हो)	अन्य विवरण
		पर्वतीय	मैदान	मासिक	देहरादून	देहरादून से बाहर		
1.	अम्बेसड र कार	AC						
		Non AC						
2.	इण्डिका	AC						
		Non AC						
3.	इण्डिगो	AC						
		Non AC						
4.	बुलेरो	AC						
		Non AC						
5.	स्कार्पियो	AC						
		Non AC						
6.	इनोवा	AC						
		Non AC						

डीजल की खपत उक्त अनुपात के अनुसार कुल चले गये किलोमीटर के आधार पर आगणित की जायेगी एवं तत्समय के बाजार दरों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

मैं लिखित रूप से अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा के सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य हैं तथा उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर वाहन आपूर्ति के लिये मैं इच्छुक हूँ। यदि मुझे स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाता है तो मैं रुपये 100.00 के गैर अदालती स्टैम्प पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये राजी हूँ।

हस्ताक्षर
दिनांक
निविदादाता का नाम

एजेन्सी की मुहर